JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रासंगिता

शैलपुत्री शर्मा

शोध छात्रा (जे॰आर॰एफ॰), ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश

डॉ पूनम चौधरी

असिस्टेंट प्रोफेसर (विभागाध्यक्ष), ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश

सारांशः– यह शोध राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालता है, जो भारत के शैक्षिक परिदृश्य को आकार देने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तीन दशकों से अधिक के अंतराल के बाद अधिनियमित, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 देश की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह अध्ययन प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक नीति की प्रमुख विशेषताओं और उद्देश्यों की गंभीर रूप से जांच करता है। यह तकनीकी प्रगति, वैश्वीकरण और विकसित होती सामाजिक अपेक्षाओं से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करते हुए, समसामयिक शैक्षिक आवश्यकताओं के साथ नीति के संरेखण का पता लगाता है। इसके अतिरिक्त, अनुसंधान समावेशिता, नवाचार और सीखने के लिए समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की क्षमता की जांच करता है। हितधारकों के दृष्टिकोण, नीति कार्यान्वयन और प्रत्याशित परिणामों के विश्लेषण के माध्यम से, इस अध्ययन का उद्देश्य भारत के भविष्य के लिए एक गतिशील और उत्तरदायी शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की स्थायी प्रासंगिकता का आकलन करना है।

सूचक शब्दः– प्रासंगिकता, नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, चुनौतिया, वैश्वीकरण।

परिचयः राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 ने स्वयं को शिक्षा पर पिछली नीतियों के उन्नत संस्करण के रूप में प्रस्तुत किया है। वर्ष 2015 में, कैबिनेट सचिव टी. एस. आर. सुब्रमण्यन के तहत एक टीम का गठन किया गया, जिसने नीति निर्माण और उसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया को अंजाम दिया। आने वाले वर्ष में प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) प्रमुख कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली एक टीम द्वारा कार्य नीति तैयार की गई और आगे की समीक्षा और सिफारिशों के लिए प्रस्तुत की गई। प्रीप्रिंट संस्करण सभी हितधारकों को उनकी प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध कराया गया था। मसौदा नीति 450 से अधिक पृष्ठों के साथ काफी लंबी थी। मंत्रालय ने कार्य नीति की तैयारी और प्रस्तुति में एक विचार–मंथन सत्र चलाया। भारत के विभिन्न प्रशासनिक ढांचे में विभिन्न भौगोलिक स्तरों पर बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए। यह नीति भारत की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने, आगे बढ़ाने और नई वैश्विक ऊंचाइयों पर ले जाने का एक सराहनीय और महत्वाकांक्षी प्रयास है। राष्ट्रीय शैक्षिक नीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, परामर्श और निष्पादन प्रक्रियाओं को बिना किसी बाधा के आसान बनाने की आवश्यकता है और आने वाले समय में मौद्रिक निर्णयों पर पुनर्विचार और कार्य करने की आवश्यकता है। यह नीति एक ऐसी निर्णय प्रक्रिया की भव्य स्वीकृति का आह्वान करती है जिसे पहले दुनिया के किसी भी हिस्से में कभी नहीं आजमाया गया था। लगभग 350 मिलियन भारतीय या तो स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई से गुजर रहे हैं, जो काफी बड़ी संख्या है। उक्त नीति के कार्यान्वयन से मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जहां तक किसी भी देश के विकास की बात है तो शिक्षा प्रणाली में सुधार प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। इस नीति का उद्देश्य वर्तमान शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रतिस्पर्धी और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है।

शैक्षिक सुधारों की दिशा में विकासशील देश भारत में उच्च अध्ययन की पेशकश करने वाले शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय और संबद्ध संस्थान शामिल हैं जो पूरे देश में उच्च शिक्षा के व्यापक प्रसार को दर्शाते हैं। यह नीति एक आकर्षक, सुसंगत और सर्व–समावेशी शिक्षण पद्धति की कल्पना करती है जो भारत द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में आवश्यक है। इस नीति का उद्देश्य औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शैक्षिक मॉडलों पर ध्यान केंद्रित करना है, जिससे शिक्षा प्रणाली के समग्र विकास पर जोर दिया जा सके। पिछले कई

वर्षों से पुस्तकों और शिक्षकों द्वारा दिए गए व्याख्यानों के उपयोग को ज्ञान का पारंपरिक स्रोत माना जाता रहा है। इस नीति का उद्देश्य छात्रों को वास्तविक दुनिया के अनुभव के माध्यम से सीखने और कक्षा के बाहर अपनी शिक्षा का विस्तार करने के लिए तैयार करना है। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2030 के अंत तक भारत दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा जो देश में विशाल मात्रा में मानव संसाधनों के माध्यम से संभव होगा। वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का लक्ष्य वैश्विक मानकों पर भारत की उपस्थिति को रेखांकित करना है, जिससे उच्चतम गुणवत्ता के माध्यम से राष्ट्र की स्थिरता को बदलने में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में कार्य किया जा सके।

प्रस्तावनाः– भारत में विकसित हाने वाली सबसे प्राचीन शिक्षा प्रणाली को वैदिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जिसका अंतिम लक्ष्य स्वयं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना था। यह 'गुरुकुल' आधारित शिक्षा प्रणाली थी। इस शिक्षा प्रणाली में शिक्षक केन्द्रित अध्यापन होता था। शिष्य कठोर अनुशासन में रहकर गुरू से शिक्षा अर्जित करते थे। हमारे वेद और ग्रन्थ शिक्षा की महत्ता से भरे पड़े हैं। तक्षशिला, नालन्दा और विक्रमशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भारत में शिक्षा के स्रोत रहे है। इन विश्वविद्यालयों में चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, चाणक्य और पतजंलि आदि ने ज्ञान प्राप्त कर मानव समाज की सेवा की। स्वतंत्रता संघर्ष के समय गोपाल कृष्ण गोखले, राजा राममोहन राय और महात्मा गांधी जैसी महान विभूतियों ने भारतीयों, विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया।

यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और इसका उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक आकांक्षाओं को संबोधित करना है। यह नीति एक नई प्रणाली बनाने के लिए इसके विनियमन और शासन सहित, शिक्षा संरचना के सभी पहलुओं में संशोधन और सुधार का प्रस्ताव करती है, जो एसडीजी 4 सहित 21वीं सदी की शिक्षा की आकांक्षाओं और लक्ष्यों के अनुरूप है, जबकि भारत में 2040 तक एक ऐसी शिक्षा प्रणाली होगी जो सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी शिक्षार्थियों के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करेगी और समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन भर सीखने के अवसर को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। एनईपी की पूरी नीति पिछले 35 से 36 वर्षों से शिक्षा व्यवस्था में जो कमियां हैं, उन्हें ठीक करने की दवा है। एनईपी की विफलता या सफलता पूरी तरह से कार्यान्वयन और हितधारकों द्वारा इसकी स्वीकृति पर निर्भर करेगी। जिसके लिए हमें मिलकर व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है।

नई शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता :–

- 2030 के एजेण्डा–21 सतत विकास लक्ष्यों में संख्या–4 के अनुरूप बनाना।
- क्यू. एस. यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कोई भी विश्वविद्यालय टाप 100 में अपना स्थान नहीं बना पाया तथा कुल 900 शीर्ष विश्वविद्यालय में भारत के मात्र 7 विश्वविद्यालय ही शामिल हैं।
- मानव विकास सूचकांक के तीन आधार स्तम्भों में शिक्षा शामिल है।
- शिक्षा से सम्बन्धित 'असर रिपोर्ट' (प्रथम संस्था द्वारा) के अनुसार, कक्षा–1 के 28 प्रतिशत बच्चे, 1 से 9 तक तथा कक्षा–3 के 4.6 प्रतिशत बच्चे, 11–99 तक के अंक को नहीं पहचान पाते हैं।
- वास्तव में यह एक चौकाने वाले खुलासे हैं तथा इनके साथ ही प्राथमिक स्तर पर शिक्षा से सम्बन्धित बहुत ही खराब स्थिति इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखायी गयी नवाचार का है अतः सुधार आवश्यक है।
- वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी व मातृभाषा के महत्व को बनाये रखने के लिए आवश्यक है।

नई शिक्षा नीति के प्रावधानः–

- शिक्षा क्षेत्र में जी.डी.पी. का 6 प्रतिशत निवेश का लक्ष्य।
- 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के शैक्षणिक पाठ्यक्रम को दो वर्गों में विभाजित किया गया है–

2 से 6 वर्ष	6 से 8 वर्ष
आगंनबाड़ी / बालिका वाटिका में प्रारम्भिक बवाल्यावस्था देखभाल शिक्षा	प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा

- 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा–3 के सभी बच्चों में बुनियादी शिक्षा व संज्ञानात्मक ज्ञान प्रदान करने हेतु ''बुनियादी शिक्षा व सज्ञानात्मक ज्ञान' पर एक 'राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की मागं।
- कक्षा–5 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा।

- स्कूली व मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा।
- स्कूली व उच्च शिक्षा में छात्रों को संस्कृत व प्राचीन भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परन्तु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की बाध्यता नहीं होगी।
- छात्रों की प्रगति व मूल्यांकन हेतु ''परख'' नामक राष्ट्रीय आंकलन केन्द्र की शुरूआत की जाएगी।
- मेडिकल व कानूनी शिक्षा छोड़ सभी उच्च शिक्षा का एक नियामक होगा।
- 2035 तक उच्च शिक्षा में पंजीकरण 28.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक पहुँचाना।
- 2030 तक स्कूलों में 100 प्रतिशत नामकंन का लक्ष्य।
- नई शिक्षा नीति में शैक्षणिक ढांचे को 5+3+3+4 के तहत चार हिस्सों में बाँटा गया है।

नई शिक्षा नीति ने भारतीय शिक्षा के स्वरूप को किस प्रकार बदलने का प्रयास किया है :–

नई शिक्षा नीति के तहत 'अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' की स्थापना का सुझाव।

भारतीय शिक्षण संस्थानों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में शामिल करने हेतु वैश्विक रैकिंग में सर्वश्रेष्ठ 100 संस्थानों के कैम्पस भारत में खोजने की अनुमति।

इतिहास – आजादी से पहले –

- 1813 में भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान।
- भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास–वुड्स शिक्षा डिस्पैच (1854) भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा– पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार।
- हंटर शिक्षा आयोग (1882–83) प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु।
- सैडलर आयोग (1917) कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच हेतु।
- हर्टोग समिति (1929) प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया।
- गाँधी जी द्वारा 1937 में शिक्षा पर 'वर्धा सम्मेलन किया गया, जिसमें सार्वभौमिक व निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा पर बल देने की बात की गयी।

शिक्षा से सम्बन्धित अन्य सुधार :–

86वाँ संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6–14 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।

- अनुच्छेद 21 (क)–मूल अधिकार के अन्तर्गत।
- अनुच्छेद–45 नीति निर्देशक तत्व के अन्तर्गत राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा।
- अनुच्छेद 51 (क) में संशोधन।
- मिड डे मील योजना – 1995
- सर्वशिक्षा अभियान–2000–01
- साक्षर भारत अभियान–2009

नई शिक्षा नीति ने भारतीय शिक्षा के स्वरूप को किस प्रकार बदलने का प्रयास किया है–

29 जुलाई 2020 को केन्द्र सरकार द्वारा लगभग 34 वर्ष बाद (1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति) शिक्षा नीति में व्यापक परिवर्तन करते हुए नई शिक्षा नीति की मंजूरी दी गई है। नई शिक्षा नीति 'कस्तूरीरंजन समिति' की सिफारिशों पर आधारित है। नई शिक्षा में न सिर्फ भारतीय शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन किया है अपितु शिक्षा की सभी तक पहुँच आसान व वहनीय शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, गुणवत्ता पूर्ण व्यवहारिक शिक्षा पद्धति आदि महत्वपूर्ण आधार स्तम्भों पर खरी उतरती है। नई शिक्षा नीति में मल्टिपल एन्ट्री और एक्जिट (बहु स्तरीय प्रवेश एवं निकासी) व्यवस्था लागू की गई है। वर्तमान व्यवस्था में अगर चार साल इंजीनियरिगं पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद डिग्री तथा 4 साल पूर्ण होने पर रिसर्च ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला है। शिक्षा में कुल जी०डी०पी० का अभी करीब 4.43 प्रतिशत खर्च हो रहा है लेकिन उसे 6 प्रतिशत करने का लक्ष्य है और केन्द्र एवं राज्य सरकार मिलकर इस लक्ष्य को निकट भविष्य में हासिल करेंगे।

चुनौतियाँ

- नई शिक्षा नीति के तहत विदेशी संस्थानों में प्रवेश से शिक्षा पद्धति महंगी हो सकती है जो आम आदमी की उच्च संस्थानों तक पहुँच को दूर कर सकती है
- कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों में त्रिभाषा सत्र का विरोध किया है।
- वर्तमान में भारतीय शिक्षक तकनीकी रूप से न तो अधिक कुशल है और न ही वैश्विक मामलों के आधार पर शिक्षित। अतः शिक्षा की गुणवत्ता सुधार में यह एक बहुत बड़ी चुनौती है।
- छात्र–शिक्षक अनुपात।

निष्कर्ष :–

नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा में सुधार हेतु सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षकों से लेकर विश्वविद्यालय स्तर के सभी शिक्षकों में सुधार की आवश्यकता है। सर्वप्रथम शिक्षकों को नई शिक्षा नीति से अवगत कराते हुए एक विधिवत परीक्षण देने की आवश्यकता है। शिक्षकों का तकनीकी रूप से कुशल व सक्षम बनाने की आवश्यकता है। समय–समय पर विद्यार्थियों के साथ–साथ शिक्षकों की गुणवत्ता की जाँच की जानी चाहिए।

संदर्भ ग्रथ सूची :–

- राज्य सभा टी०वी०।
- Research Paper, National Education Policy 2020% what is in it for a student, a parent, a teacher, or us as a higher education Institution.
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, दृष्टि कोचिंग।
- National Education Policy 2020, Ministry of Human Resource Development, Government of India.
- https%//in-wikipedia-org/wiki/nationalpolicy on education.
- https%/www-oneindia-com/india/new&education.policy-2020 advantages and disadvantages-of-rep-3127811.httml.